उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 155/2018/2834/92-2-2018-29जांच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 01 नवम्बर , 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद उन्नाव में दिनांक 23-04-2017 को मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-10 (अपग्रेडेशन 2012-13) पैकेज संख्या-यू0पी0-69109 निर्मित मार्ग अजगैन से मुंशीगंज (पार्ट-1) के अनुरक्षण कार्य मानक के अनुरूप न पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-58/2017 /631/92-2-2017-29जांच/2017 दिनांक 05-05-2017 द्वारा श्री रज्जन लाल कुशवाहा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-उन्नाव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री कुशवाहा को मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया। श्री कुशवाहा द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 05-05-2017 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-एस0बी0-12174/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29-05-2017 के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-96/2017/861/92-2-17-29जांच/2017 दिनांक 19-06-2017 द्वारा श्री कुशवाहा को निलम्बन आदेश दिनांक 05-05-2017 को इस शर्त के साथ निरस्त करते हुये उन्हें सेवा में बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र संख्या-1838/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जां0/श्री रज्जन लाल कु0/सहा0अभि0/17-18 दिनांक 26-02-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी जिसमें अपचारी अधिकारी श्री कुशवाहा पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री रज्जन लाल कुशवाहा, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-उन्नाव सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-05-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-155/2018/2834 /(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री रज्जन लाल कुशवाहा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-उन्नाव सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।